UPAU010037432023

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–प्रथम
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, औरैया
पीठासीन अधिकारीः–अतीक उद्दीन (एच0जे0एस0)
JO Code NO. UP 1533

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1513/2023

रामकुमार पुत्र होरीलाल बाल्मीकि निवासी ग्राम कुदरकोट,, थाना–बिधूना, जिला–औरैया।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

..... अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–191/2008
धारा–143,363,354,344,504,506 भा0द0सं0
थाना–बिधूना, जिला–औरैया
सी0एन0आर0 नं0–010037432023,

दिनांक–07.08.2023

1– मु0अ0सं0–191/2008 धारा–143, 363, 354, 344, 504, 506 भा0द0सं0 थाना–बिधूना, जिला औरैया के अपराध के सम्बन्ध में जेल में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त रामकुमार की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

2– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि–प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में गांव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन फंसाया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक–03.09.2008 को पुलिस अधीक्षक औरैया को प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र के आदेश के अनुपालन में दिनांक–04.09.2008 को प्रार्थी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट में दिनांक–22.04.2008 को दिन के 01 बजे के पहले शौंच किया के समय प्रतिवादियों द्वारा पुत्री परवीन का किडनैप कर लिया गया था। उक्त मुकदमें में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी को कथित घटना में अभियुक्त नहीं बनाया गया था। वादिनी मुकदमा द्वारा पुनः दिनांक–27.08.2008 को रात्रि 8 बजे दबंग प्रतिवादियों द्वारा पुत्री परवीन का किडनैप कर लिये जाने में प्रार्थी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। विवेचक द्वारा दिनांक–16.09.2008 को वादिनी मुकदमा की पुत्री परवीन खातून की बरामदगी बेला चौराहा से होना दर्शायी गयी है वह स्थान बहुत ही व्यस्त क्षेत्र है और मुख्य मार्ग है और परवीन खातून की बरामदगी का स्थान थाना बेला के सामने दीवार के पास बैठा होना दर्शाया है और किसी भी अभियुक्तगण की मौजूदगी न दर्शाना स्वमेव घटना काल्पनिक प्रतीत होती है। चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर वादिनी मुकदमा की पुत्री परवीन खातून की लगभग उम्र 17–18 वर्ष होना दर्शाया है। वादिनी मुकदमा व उसके परिवारीजन का अपने ही परिवार के मुहीद खां से गांव की पार्टीबन्दी एवं चुनावी रंजिश के कारण आपसी मतभेद था। प्रार्थी बाल्मीकि समाज का व्यक्ति है कथित मामले के सहअभियुक्तों

के यहां प्रार्थी मेहनत मजदूरी करता था जिस कारण वादिनी मुकदमा रंजिश के कारण उसे नामजद अभियुक्त बना दिया। वादिनी मुकदमा की पुत्री श्रीमती परवीन खातून एडवोकेट ने दिनांक–08.01.2021 को थाना फफूंद में अ0सं0–11/2021 अर्न्तगत धारा–354,323 भा0दं0सं0 के तहत प्रार्थी के गांव के ही भूरेलाल, अनीता, अनिल कुमार उर्फ रामप्रकाश व राजीव के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। उक्त मामले में विवेचक द्वारा सारे साक्ष्य संकलित करते हुये अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। मा0 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विचाराधीन पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई शमन व वारंट की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो सकी और न ही सह अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी को कथित घटना में नामजद अभियुक्त होने की जानकारी दी गयी। जब प्रार्थी दिनांक–31.07.2023 को सम्बन्धित थाना कुदरकोट की पुलिस द्वारा गैरजमानतीय वारण्ट लेकर घर पर आई और प्रार्थी को घर से थाना कुदरकोट ले जाकर दिनांक–01.08.2023 को चालान न्यायालय किया गया। प्रार्थी ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की कोई गलती नहीं की जब कि जानकारी के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी प्रतिभू देने को तैयार है और प्रतिभू का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त कथन करते हुये प्रतिभू पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वाना शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाये।

4– अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की पुत्री को दिनांक–22.04.2008 को दिने के एक बजे पहले शौच किया के समय प्रतिवादियों द्वारा किडनैप कर लिया गया था, जिसको भी मेरी बड़ी के साथ भी प्रतिवादियों के परिवार के सदस्यों द्वारा इसी तरह की घटना घटी थी जिसका मुकदमा न्यायालय औरैया में चल रहा था, उसको राजीनामा न करने पर प्रार्थिनी की दूसरी पुत्री परवीन के साथ यह घटना घटित की गयी है। यह कि पुनः दुबारा जैसे ही दिनांक–05.08.2008 को पिछले मुकदमें के निर्णय में सजा सुनायी गयी तो दिनांक–27.08.2008 को समय 8 बजे दबंगों प्रतिवादियों ने अवैध हथियार का सहारा लेकर प्रार्थिनी के मकान पर हमला बोल दिया, पुनः मेरी पुत्री को किडनैप कर लिया गया है। प्रार्थिनी व उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी बार–बार आ रही है और प्रार्थिनी व उसके परिवार को किसी अप्रिय घटना का शिकार बनाया जा सकता है और उसकी पुत्री परवीन जो कि आजकल प्रतिवादियों के हाथ में है उसे भी जान से मारकर फेंका जा सकता है जिसका इल्जाम प्रार्थिनी को ही लगाया जा सकता है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उसकी पुत्री परवीन को प्रतिवादियों के चंगुल से छुड़वाकर प्रतिवादियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

5– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्त तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान डी.जी.सी. (क्रिमिनल) की तर्क व बहस सुना तथा अपहृता कु0 परवीन के बयान अर्न्तगत धारा–164 दं0प्र0सं0. जैसा कि केस डायरी में दर्शित है एवं समस्त पुलिस प्रपत्रों एवं केस डायरियों का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि विवेचनोपरान्त अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अर्न्तगत धारा–143,363,354,344,504,506 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया है।

6– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से यह भी तर्क दिया गया कि– प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 8 दिन बाद दिनांक–04.09.2008 को काफी बिलम्ब से अंकित करायी गयी है जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। वादिनी की बड़ी पुत्री के अपहरण में अभियुक्त नहीं शामिल था और न ही वादिनी की पुत्री कु0 परवीन का अपहरण किया है। वादिनी की पुत्री परवीन की बरामदगी के समय किसी भी अभियुक्त का गिरफ्तार होना नहीं बताया गया है।

7—अभियुक्त दिनांक—01.08.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्तगण नन्नी उर्फ मुईन खां, इमाम उर्फ इमामुद्दीन, अनवर खां, फईम एवं शकील खां की जमानत सत्र न्यायालय औरैया के आदेश से हो चुकी है। अभियुक्त रामकुमार का मामला सहअभियुक्तगण के समान है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जैसा कि थाने की आख्या दिनांक—05.08.2023 से स्पष्ट है। अतः समानता का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रकरण के गुण—दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुये इस न्यायालय के मत में जमानत आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ अभियुक्त रामकुमार पुत्र होरीलाल बाल्मीकि को मुकदमा अपराध संख्या—191/2008 अर्न्तगत धारा—143,363,354,344,504,506 भा0दं0सं0, थाना—बिधूना, जिला—औरैया के अपराध में उसके द्वारा मु0—50,000/—रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर सत्यापन के उपरान्त निम्न शर्तो का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये कि—

1—अभियुक्त विवेचना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर विवेचना हेतु उपस्थित रहेगा।

2— न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा तथा साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

3— जमानत का दुरूपयोग करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांक—07.08.2023

(अतीक उद्दीन)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—प्रथम,
औरैया।